

ब-अदालत, भूमि सुधार उप समाहर्ता, मधुपुर

केस का प्रकार

संख्या—

22

सन

2010-11

आवेदक

बनाम

163

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख ।
1	2	3
5.7.2023	अभिलेख उपास्थित। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक लम्बी अवधि से लगातार अनुपस्थित है। इससे प्रतीत होता है कि आवेदक को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है। फलस्वरूप आगे की कार्रवाई चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक के अभिरुची के अभाव में, इस वाद को खारिज (Dismissed for Default) किया जाता है तथा वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं। लेखापित एवं संधाधित भूमि सुधार उपसमाहर्ता मधुपुर भूमि सुधार उपसमाहर्ता मधुपुर	